BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)

IN THE MATTER OF

OA NO. 47/2016

BHARAT KUMAR JAIN - APPLICANT

//VERSUS//

UNION OF INDIA AND ORS - RESPONDENTS

INDEX

Sr. No.	Particulars	Annexure	Pg No.
1	Compliance affidavit in compliance of Order dated 14.07.2020 on behalf of Municipal Commissioner, Mount Abu		
2	Newspaper Cuttings regarding cleaning of Nakki Lake	A/1	
3	List of encroachments identified by the Municipal Corporation	A/2	
3	List of penalty imposed on the transporters	A/3	
4	Newspaper cuttings depicting the drive carried out by the Municipal Board towards demoting the use of Plastic	A/4	
5	Detailed report depicting compliance of the Solid Municipal Waste Rules	A/5	

Place :: Bhopal
Date :: 07.09.2020

Sandeep Singh Baghel
Counsel for Municipal Board Mount Abu
+91-9425330178
sandeepbaghel21@gmail.com

Scanned by TapScanner

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)

IN THE MATTER OF

OA NO. 47/2016

BHARAT KUMAR JAIN - APPLICANT

//VERSUS//

UNION OF INDIA AND ORS - RESPONDENTS

COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION, MOUNT ABU OF THE ORDER DATED 14.07.2020

I, Dr. Gaurav Saini, currently holding charge of Commissioner, Municipal Board, Mount Abu, Rajasthan do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am holding the charge of the Municipal Corporation, Mount Abu and fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.
2. That, on 10th December' 2019, the Hon'ble Tribunal had directed the Commissioner, Municipal Corporation, Mount Abu to furnish personal affidavit stating the steps taken for preservation of eco-sensitive zone since the issuance of the notification on 25.06.2009 and also to provide subject wise detail of the steps taken from issuance of notification dated 25.06.2009 upto finalization of Zonal Master Plan and steps taken after Zonal plan was finalized. IN terms of the orders passed by the Hon'ble Tribunal, a detailed affidavit was filed before the Hon'ble Tribunal.
3. That, subsequently, the Hon'ble Tribunal directed the Municipal Commissioner to furnish additional affidavit with

NOTARY * GOVT. OF RAJASTHAN
BHUPENDRA SINGH JAIN ADVOCATE Mount Abu (Raj.) Reg No. 1053 Exp. 7-7-2023

आयुक्त
नगरपालिका, आबूपर्वत

Scanned by TapScanner

regard to the developments taken place in terms of the Eco Sensitive Zone notification dated 25.06.2009 declaring Mount Abu as Eco sensitive zone.

4. That, after the month of February 2020, the Municipal Corporation Mount Abu has carried out fencing work from 20 Number Pillar till natural waterfall area as a result of which no mishap is likely to occur and the area in now fully covered and protected.

5. That even in terms of the by-laws prepared pursuant to the ESZ Notification, a minimum distance of 50 meters is required to be maintained from natural water bodies, water channels, nallahs, etc.

6. That in terms of the order dated 20.03.2020 passed by the Director, Self Governance and Urban Development Department, the small annicuts of Abu Parwat have been dug and the height of the walls have been increased in order to increase the storage of water due to which the beautification of Abu Parwat has increased multifold times.

7. That the Municipal Corporation, with its own fund carried out the task of cleaning of the famous nakki lake of Mount Abu, cleaning of all the Non-Perennial Nallahs, plantation and even removal of Hyacinth (जलकुम्भी) with use of nearly 25 trolleys. The total cost invested in the above mentioned works was nearly Rs, 26,78,917/-. Some of the newspaper cuttings are annexed herewith as **Annexure A/1**.

8. That in the month of July 2020, nearly 21 wells were cleaned by the Municipal Board, Abu Parwat as a result of which, the residents shall not be deprived of fresh water.

9. That in the year 2020, a total of 42,000 Plants have been planted which includes Medicinal Plants as well as Flower and fruit yielding plants.

NOTARY
GOVT. OF RAJASTHAN
BHUPENDRA SINGH JAIN
ADVOCATE
Mount Abu (Raj.)
Reg.No.1053
Exp. 7-7-2023

आयुक्त
नगरपालिका, आबूपर्वत

Scanned by TapScanner

10. That a total of 96 Public Toilets have been constructed till date and these public toilets are cleaned by the Municipal Board on routine basis.

11. That during the period between 01.02.2020 till 31.08.2020, a total number of 18 encroachments has been identified by the Municipal Board, the details of which along with the action taken against them is enclosed herewith as **Annexure A/2.**

12. That apart from the above, during the period between 01.02.2020 till 31.08.2020, penalty has been imposed on a few vehicles who were found to be transporting mineral material illegally, the details of which is annexed herewith as **Annexure A/3**.

13. That in addition to all of the above, a drive has been carried out to ensure Mount Abu to be a Plastic Free town and in this regard several newspaper cuttings which shows the efforts taken by the answering Municipal Board are collectively annexed herewith as **Annexure A/4**.

14. That that in terms of the compliance of the Municipal Solid Waste Management Rules, a separate report has been prepared which highlights the entire efforts taken by the Municipal board towards compliance of the Municipal Waste Management Rules, which includes various heads for instance Door to Door Collection, Source Segregation, Public Awareness, Litter Bins and Waste Storage Transportation, Public Sweeping, etc. The copy of the report is annexed herewith as **Annexure A/5**.

15. That, the answering Respondent craves leave of the Hon'ble Tribunal to furnish any other details at a later stage, if the need so arise.

DEPONENT

आयुक्त
नगरपालिका, आबूपर्वत

NOTARY
BHUPENDRA SINGH JAIN
ADVOCATE
Mount Abu (Raj.)
Reg.No.1053
Exp. 7-7-2023
GOVT. OF RAJASTHAN

Scanned by TapScanner

VERIFICATION

I, the above named Deponent do hereby verify that the contents of the affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no material facts has been concealed or suppressed.

Signed and verified on this 8th day of September, 2020.

DEPONENT

आयुक्त
नगरपालिका, आबूपर्वत

NOTARY ★ GOVT. OF RAJASTHAN ★ BHUPENDRA SINGH JAIN ADVOCATE Mount Abu (Raj.) Reg.No.1053 Exp. 7-7-2023

ADMITTED & SWORN
Before me by Shri Dr Gaurav Saini
S/o Commissioner R/o Municipal Board Mt Abu
on this 08
Day 09 2020

NOTARY PUBLIC 08/9/2020
Mount Abu, Distt. Sirohi

S.No 639
08.9.2020

Scanned by TapScanner

आबूरोड. नक्की झील में बोट हाउस कर्मचारियों ने सफाई कार्य किया।

माउंटआबू में बोटहाउस कर्मचारियों ने नक्की झील से निकाला कचरा

आबूरोड | हिल स्टेशन माउंटआबू के नक्कीलेक को साफ-सुथरा बनाए रखने को लेकर रविवार को बोटहाउस कर्मचारियों ने श्रमदान कर इसकी सफाई की। इस दौरान पानी एवं परिसर में से एक ट्रोली कचरा निकालकर श्रमदान किया। बोटहाउस कर्मचारी अपने स्तर पर पर्यटकों को नक्कीलेक एवं शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए सहयोग करने व कचरे को डस्टबिन में ही डालने को प्रेरित कर रहे हैं।

यह है श्रमवीरों का माउंट
ऐसे बदली नक्की की सूरत

05 | 500 | 17 | 100 | 250 | 50 | 03 | 500

प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से चलाया नक्की को साफ करने का अभियान, स्वास्थ्य निरीक्षक के नेतृत्व में तीन सदस्यों की टीम का गठन, गंदगी फैलाने वालों पर रखी जाएगी नजर

नक्की की सफाई में 450 से अधिक लोगों ने 5 घंटे में निकाला 3 टन कचरा

दुकानों के बाहर लगेंगे प्लास्टिक मुक्त माउंट के स्टीकर, व्यापारियों को मिलेगी कागज की थैलियां

इस अभियान में इन लोगों का रहा सहयोग

शहरवासियों का प्रयास रंग लाया अब माउंट को बनाएंगे प्लास्टिक मुक्त

Scanned by TapScanner

नगरपालिका आबूपर्वत सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माणों की सूची एवं उन पर की गई कार्यवाही

दिनांकः-01.02.2020 से आज दिनांक 31.08.2020

क्र. सं	अवैध निर्माणकर्त्ता का नाम	पता	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
1	बफात शरीफ	कुम्हारवाडा,	दिनांकः- 14.03.2020 बिना अनुमति के प्रथम तल पर आर.सी.सी. छत का निर्माण किया गया था। प्रार्थी द्वारा दस्तावेज वाद संख्याः-12/2006 की प्रति बफात शरीफ बनाम नगरपालिका प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरण में नोटिस जारी किया गया एवं अवैध रूप से निर्मित दिवार, पार्टीशन वॉल, अन्दर आर.सी.सी.वॉल को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
2	हिम्मत टेलर	कुम्हारवाडा,	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। जिसमें मौके पर कोई कार्य नहीं पाया गया। संबंधित से पुछने पर बताया कि उपखण्ड-कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त कर मरम्मत कार्य करवाया गया है। मकान पर पूर्व से ही आर.सी.सी.छत निर्मित है। प्रकरण में नोटिस जारी किया गया एवं मरम्मत स्वीकृति के विपरित किये गये अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
3	अयुब खाना पुत्र लतीफ खान	दुमना	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। जिसमें नगरपालिका की बिना स्वीकृति के टीन शेड की ऊँचाई बढ़ाई गई थी, प्रकरण में नोटिस जारी किया गया जाकर टीन शेड ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
4	पंचम कनौजिया	पटेल हॉस्टल के पास,मॉचगॉव	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। उपखण्ड-कार्यालय से मरम्मत की प्राप्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके विपरित दीवारो का पार्टेशन,दीवार व आर.सी.सी का निर्माण किया गया था। पूर्व में भी शिकायत प्राप्त होने पर उसे पालिका टीम द्वारा ध्वस्त किया गया था। वर्तमान में स्वीकृति के विपरित दीवारो का पार्टेशन,दीवार व आर.सी.सी को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
5	निरंजन शर्मा	पोलोग्राउन्ड के सामने,	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। उपखण्ड-कार्यालय से छत, स्टोर रूम,मरम्मत की प्राप्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके विपरित छज्जे के अतिरिक्त आर.सी.सी छत का निर्माण किया गया था। पालिका टीम द्वारा ध्वस्त किया गया

Scanned by TapScanner

क्र. सं	अवैध निर्माणकर्त्ता का नाम	पता	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
6	रणछोड़ देवासी	बापू-बस्ती, देलवाड़ा	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य जारी था। कार्य को तुरन्त प्रभाव से बन्द करवाया गया। दो कमरो का निर्माणाधीन कार्य पाया गया। निर्माण स्वीकृति भी प्राप्त नहीं थी। प्रकरण में नोटिस जारी किया गया एवं मरम्मत स्वीकृति के विपरित किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
7	बाबुसिंह दहिया	कुम्हारवाडा,	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। पूर्व में भी शिकायत प्राप्त होने पर अवैध रूप से निर्मित आर.सी.सी छत, सीढ़ी को पालिका टीम द्वारा ध्वस्त किया गया था। जो यथावत है, उपखण्ड-कार्यालय से मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की जाकर कमरो की मरम्मत की गई थी। प्रकरण में नोटिस जारी किया गया एवं मरम्मत स्वीकृति के विपरित किये गये अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
8	जमील अहमद चूडीवाला	मांचगांव	दिनांकः- 14.03.2020 प्रकरण का मौका निरीक्षण किया गया। पुराने भवन के उपर आर.सी.सी. की छत का निर्माण होना पाया गया पूछने पर किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं पाई गई। प्रकरण में नोटिस जारी कर अवैध रूप से निर्मित आर.सी.सी.छत को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
9	हरी मधुसूदन	कुम्हारवाडा	दिनांकः- 14.03.2020 प्रकरण का मौका निरीक्षण किया गया।प्रार्थी द्वारा उपखण्ड कार्यालय से मरम्मत की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य करवाते हुये पाया गया।मौके पर पुराना भवन बना हुआ था। जिसकी मरम्मत की जा रही है। नई आर.सी.सी. छत का निर्माण नहीं पाया गया। भवन के अंदर नई लोहे की सीढी का निर्माण किया गया पाया। भवन के उपरी तल पर टीनशेड लगे हुये है। प्रकरण में नोटिस जारी कर स्वीकृति के विपरित किये गये कार्य का ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
10	फैज मोहम्मद	शंकरलाल शर्मा के पास कुम्हारवाडा	दिनांकः- 14.03.2020 प्रकरण का मौका निरीक्षण किया गया। उपरी वाली मंजिल पर पालिका की बिना स्वीकृति के पैराफीट वॉल एवं लोहे की रेलिंग का निर्माण किया गया है। जिसमें संबंधित को नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।

Scanned by TapScanner

क्र. सं	अवैध निर्माणकर्त्ता का नाम	पता	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
11	शालीमार कोटेज	मांचगांव,आबूपर्वत	बिना अनुमति के दुसरी मंजिल पर अवैध छत का निर्माण किया, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः-18.06.2020 को ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई,
12	भावना देवी,	दुदाई	उनके घर में करिब 3 फीट की ईटों की चुनाई कर दिवार बिना अनुमति के बनाई गई, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः-05.08.2020 को पूर्ण ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
13	नवीन टॉक	आकाश-वाणी केन्द्र के सामने, दुदाई	बिना अनुमति के उसने घर के छज्जे का निर्माण कर दिया गया, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः-08.08.2020 को पूर्ण ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
14	मंगू देवी	बापू-बस्ती, देलवाड़ा	एक कमरे का बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः-10.08.2020 को पूर्ण ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई,
15	जया कंस्ट्रकशन, राजेन्द्रसिंह, ठेकेदार	आशापुरा रेस्टोरेन्ट के पीछे, देलवाड़ा	दिनांकः-20.08.2020 को अवैध रूप से संचालित की जा रही अवैध निर्माण सामग्री जिसमें बजरी एक ट्रॉली खड़ी पाई गई, सुचना प्राप्त होने पर, पालिका द्वारा उसे जब्त करने की कार्यवाही की गई।
16	चमनसिंह,	गोवा-गांव, देलवाड़ा	दो कमरो पर छत बनाकर बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः-28.08.2020 को पूर्ण ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई,
17	गौतमदास होटल टोपर्स्स कार्नर	सेन्टमेरी ऐरिया, सीतावन	उसके जनरेटर सेट के समीप करिब 10 फीट की ईटों की चुनाई कर दिवार बिना अनुमति के बनाई गई, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः-28.08.2020 को पूर्ण ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
18	अज्ञात	देलवाड़ा	खसरा संख्या 37 पर अज्ञात व्यक्तियों ने हवन कुण्ड,अस्थाई मंदिर नुमा ढांचा निर्मित किया गया जिसे ध्वस्त किया गया व अनुपालना उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की गई।

Scanned by TapScanner

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, आबू पर्वत, सिरोही (राज0)

(अम्बेडकर सर्किल के पास सनसेट रोड आबूपर्वत -सिरोही राज0 पिन कोड 307501)
ई-मेल :- palikaabu@yahoo.in, palikaabu@gmail.com
कार्यालय टेलीफोन नं :- 02974 - 235182, 235172

क्रमांक / न.पा.आबू / 2019 / दिनांक

पलिका दवारा जब्त की गई सामग्री एवं की गई कार्यवाही
01 फरवरी 2020 से माह 31 अगस्त 2020 तक

क्र.सं.	ठेकेदार /व्यक्ति का नाम	बुक नम्बर एवं रसीद संख्यों एवं दिनांक	कुल राशी
1	शगीर अहमद / कबीर अहमद मस्तान ट्रॉन्सपोर्ट, चम्पाकुआ सदरबाजार, आबूपर्वत	1:– दिनांकः–25.02.2020 टोलनाके पर प्राप्त सुचना अनुसार ज्ञात हुआ की एक डम्पर संख्याः– RJ-32-GA-7648 जिसमें अवैध रूप से खनिज निर्माण सामग्री का बिना वैद्य रॉयल्टी रसीद / रवन्ना / ट्रान्जिट / टोकन के सामग्री का परिवहन किया जा रहा है जिसकी सूचना आयुक्त महोदय को प्रदान की गई उन्होने उपखण्ड–अधिकारी, आबूपर्वत को रिपोर्ट प्रदान की एवं उन्होने तत्काल रूप से खनन विभाग के अधिकारीयों को बुलाया जिन्होने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत 2017 के नियम 60 (6) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। सामग्री एवं वाहन जब्त कर माननीय उच्च न्यायलय के आदेशो के अनुसार ही प्रदान किये एवं शास्ती शुल्क जमा करवाया गया।	1,25,000 / रूपये
2	लक्ष्मणसिंह / धरमसिंह तोरणा, आबूपर्वत	1:– बुक नम्बरः–81 2:– रसीद संख्योंः–35 3:– दिनांकः–22.06.2020	5,000 / रूपये
3	पीराराम देवासी / बाबरा जी आबूरोड	1:– बुक नम्बरः–81 2:– रसीद संख्योंः–45 3:– दिनांकः–26.06.2020 4:–वाहन संख्याः–RJ-38-RA-0251	10,000 / रूपये

Scanned by TapScanner

आबूरोड. नक्की झील में बोट हाउस कर्मचारियों ने सफाई कार्य किया।

माउंटआबू में बोटहाउस कर्मचारियों ने नक्की झील से निकाला कचरा

आबूरोड | हिल स्टेशन माउंटआबू के नक्कीलेक को साफ-सुथरा बनाए रखने को लेकर रविवार को बोटहाउस कर्मचारियों ने श्रमदान कर इसकी सफाई की। इस दौरान पानी एवं परिसर में से एक ट्रोली कचरा निकालकर श्रमदान किया। बोटहाउस कर्मचारी अपने स्तर पर पर्यटकों को नक्कीलेक एवं शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए सहयोग करने व कचरे को डस्टबिन में ही डालने को प्रेरित कर रहे हैं।

दैनिक भास्कर

आबूरोड़. माउंट आबू

यह है श्रमवीरों का माउंट
ऐसे बदली नक्की की सूरत

05 | 500 | 17 | 100 | 250 | 50 | 03 | 500

प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से चलाया नक्की को साफ करने का अभियान, स्वास्थ्य निरीक्षक के नेतृत्व में तीन सदस्यों की टीम का गठन, गंदगी फैलाने वालों पर रखी जाएगी नजर

नक्की की सफाई में 450 से अधिक लोगों ने 5 घंटे में निकाला 3 टन कचरा

दुकानों के बाहर लगेंगे प्लास्टिक मुक्त माउंट के स्टीकर, व्यापारियों को मिलेगी कागज की थैलियां

इस अभियान में इन लोगों का रहा सहयोग

शहरवासियों का प्रयास रंग लाया अब माउंट को बनाएंगे प्लास्टिक मुक्त

Scanned by TapScanner

देश का पहला हिल स्टेशन और पर्यटक स्थल, जो आज से होगा प्लास्टिक और पोलीथिन मुक्त

माउंट 71 साल बाद प्लास्टिक से आजाद, उपयोग करने पर 2 हजार से 1 लाख रुपए जुर्माना

99% माउंटवासी पोलीथिन पर प्रतिबंध के समर्थन में, 20 हजार कपड़े की थैलियां बांटी

[illegible]

अब माउंट आ रहे हैं तो यह आपके लिए, संकल्प लिया है पर्यावरण रक्षा का

[illegible]

यह है माउंटआबू का ब्रिटिशकाल का इतिहास

[illegible]

लूट के लिए रोड पर डाले पेड़ व पत्थर, रात को यहां से नहीं गुजरा कोई वाहन तो टली वारदात

सुबह इस मार्ग से निकले वाहन चालकों ने सड़क पर डाले पत्थरों व पेड़ों को हटाया

[illegible]

[illegible]

श्रीदेवस्थान बोर्ड ट्रस्ट की जांच के लिए समिति गठित

[illegible]

तीन दु... पदार्थों ...

[illegible]

माउंट-आबूरोड भास्कर

पाली, सोमवार 15 जुलाई, 2019 | सरूपगंज • मंडार • रेवदर | रोहिड़ा • अनादरा • देलवाड़ा | dainikbhaskar.com

माउंट आबू में अब प्लास्टिक के उपयोग पर लगेगा 5000 रुपए तक का जुर्माना

दुकानदार भी प्लास्टिक की जगह कागज की थैलियों में देंगे सामान, नक्की झील पर भी रहेगा प्लास्टिक पर प्रतिबंध, निगरानी के लिए बनाई तीन सदस्यीय टीम, वसूलेगी जुर्माना

[illegible]

माउंटआबू को बनाएं प्लास्टिक मुक्त — दैनिक भास्कर

[illegible]

अभियान में भास्कर सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाएगा

[illegible]

हम अब कर रहे हैं शुरुआत, कई देशों में पहले से बैन, आयरलैंड में 22 यूरो सेंट कर

[illegible]

स्वयं सहायता समूह उपलब्ध कराएंगे कागज की थैलियां

[illegible]

[illegible] -डॉ. रविंद्र गोस्वामी, [illegible]

Scanned by TapScanner

प्लास्टिक मुक्त माउंट • प्रशासन की ओर से माउंट आबू में 15 अगस्त से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा

माउंट आबू में पॉलीथिन पर प्रतिबंध का असर, जहां थर्माकॉल का होता था उपयोग, वहां अब पलाश के पत्तों से बनी प्लेट्स आ रही नजर

भास्कर न्यूज | माउंटआबू

हिल स्टेशन माउंटआबू को साफ-सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की ओर से शुरु की गई पहल का असर अब सामने आने लगा है। विभिन्न स्वयंसेवी एवं सामाजिक संगठनों के साथ ही नाश्ता सेंटर संचालक व लॉरी पर व्यवसाय करने वाले भी इस मुहिम से जुड़ गए हैं। इन लोगों ने थर्मोकोल की प्लेट्स के स्थान पर पलाश के पत्तों से बनी प्लेट्स का उपयोग करना शुरु कर दिया है। ये प्लेट्स ईको फ्रेंडली तो है ही, साथ ही इससे कचरे की भी समस्या नहीं रहेगी, इसे आसानी से जलाकर नष्ट किया जा सकता है।

माउंट आबू. नाश्ता पलाश के पत्तों की प्लेट्स में दिया जाने लगा है।

जानकारी के अनुसार माउंटआबू आगामी 15 अगस्त से प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध है। ऐसे में इसका उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित से जुर्माना वसूलने के साथ ही बार-बार गलती दोहराई जाने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रशासनिक एवं सामाजिक स्तर पर हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में अब लोग स्वयं आगे आने लगे हैं। शहर के सब्जी मंडी में चम्पा कुआ एवं चाचा म्यूजियम चौराहे के पास स्थित नाश्ता सेंटरों के संचालकों ने प्रशासन की मुहिम में साथ निभाते हुए पलाश के पत्तों से बनी प्लेट्स को काम में लेना शुरु कर दिया है।

इन लोगों का कहना है कि इन प्लेट्स से न तो पर्यावरण प्रदूषित होगा और न ही शहर गंदा होगा। सूखने के बाद इन्हें आसानी से नष्ट किया जाता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

देलवाड़ा जैन मंदिर में लगी प्लास्टिक बोतल रिसाइक्लिंग मशीन, कैशबेक कूपन मिलेंगे

भास्कर न्यूज | आबूरोड/ माउंटआबू

देलवाड़ा जैन मंदिर में गुरुवार शाम को प्लास्टिक बोतल रिसाइक्लिंग मशीन लगाई गई। मशीन का एसडीएम डॉ. रविंद्र गोस्वामी, डीएफओ बालाजी करी व नगरपालिका चेयरमैन सुरेश थिंगर ने शुभारंभ किया। इस दौरान मौजूद लोगों को मशीन के उपयोग करने के तरीके के बारे में बताया गया। वक्ताओं का कहना था कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्लास्टिक बोतलें इधर-उधर फेंकने से होने वाली गंदगी की समस्या का स्थाई रुप से समाधान हो सकेगा। संबंधित लोगों को बोतल क्रस होने के बाद कैशबेक उपहार मिलेगा। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए इसका अधिकाधिक उपयोग करने को प्रेरित किया गया। इस मौके नगरपालिका उपाध्यक्ष अर्चना दवे, पार्षद सुनिल आचार्य, भरत लालवानी, भगवानाराम राणा, राधा राणा, इंदिरा कंवर, कस्तूरी कंवर, पारुल मेघवाल, राजस्व अधिकारी जितेन्द्र व्यास, राजस्व निरीक्षक महेन्द्र बंजारा व कनिष्ठ लिपिक शिल्पा बिष्ट आदि मौजूद थे।

माउंट आबू. प्लास्टिक बोतल रिसाइक्लिंग मशीन का लोकार्पण किया।

Scanned by TapScanner

Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules 2016

1. **Door to Door Collection :-**

उक्त बिन्दू की पालना में नगर पालिकाआबूपर्वतद्वारा सभी 25 वार्डों में ऑटो टिपर (कचरा संग्रहण वाहन) द्वारा सभी संस्थागत भवन व व्यवसायिक क्षैत्रों में प्रतिदिन दो पारियों में कचरा संग्रहण किया जा रहा है। उक्त कार्य पालिका द्वारा विगत 4 वर्षों/2016 से किया जा रहा है। इसके लिये 10 ऑटो टिपर कार्यरत है।

2. **Source Segregation :-**

नगर पालिका आबूपर्वतद्वारा सभी नागरिकों को व सभी घरों में सुखा व गीला कचरा पृथक–पृथक एकत्रित करने हेतु प्रेरित किया गया है। पालिका द्वारा प्रत्येक घर को हरे व नीले कचरा पात्र वितरित किये गये है। इसके अलावा आईईसी गतिविधियों यथा स्कूलों में विधार्थियों को जागरूक करने व सार्वजनिक स्थानों पर पेन्टिंग करवाकर, होर्डिंग लगाकर, नागरिकों को प्रेरित किया गया है।

Scanned by TapScanner

3.Public Awareness

4. Litter Bins & Waste Storage Transportation :-

नगर पालिका आबूपर्वत को दिनांक 02.10.2019 को नगरपालिका क्षैत्र को डस्टबीन मुक्त कर दिया गया है । सभी 25 वार्डो, धर–धर जा कर 10 टीपर गाड़ीयो से कचरा संग्रहित किया जा रही है। सभी संस्थागत भवन व व्यवसायिक क्षैत्रों, होटल, पेईग–गेस्ट हाउस, बस–स्टैण्ड, सदर–बाजार, सब्जी–मण्डी, नक्की झील ऐरिया, इत्यादी क्षेत्रों में प्रतिदिन दो पारियों में कचरा संग्रहण किया जा रहा है।

5. Transfer Station :-

नगरपालिका क्षैत्र में डम्पिंग यार्ड के लिए भूमि नही होने के कारण एक ट्रान्सफर स्टेशन स्थापित किया गया है। जहॉ से प्रतिदिन कचरा आबूरोड स्थित आमथला डम्पिंग यार्ड मे डाला जाता है।

6.Separate Transportation :-

नगरपालिका् द्वारा कचरा संग्रहण हेतु मैसर्स पर्यावरण सेवा सुधार सेवा संस्थान को ठेका दिया गया है उक्त फर्म द्वारा कचरा सग्रहण किया जाता है।जिसके द्वारा प्रत्येक संस्थान से आर.एफ.आई.डी. कार्ड के माध्यम से प्रतिदिन दो पारियो में कचरा संग्रह किया जाता है। पालिका के सभी कचरा संग्रहण वाहनोंमें सेपरेट कम्पार्टमेन्ट की व्यवस्था है। पालिका के प्रत्येक वाहन द्वारा कचरा को अस्थाई डमंपिग यार्ड में 2:00 बजे तक पहुचाया जाता है। जिसके पश्चात् सायः 5 बजे स्थाई डम्पिंग यार्ड मे आमथला पर पहॅुचाया जाता है।

Scanned by TapScanner

7. **Public Sweeping :-**

नगरपालिका आबूपर्वत के सफाई कर्मचारियों द्वारा सभी वार्डो में एवं अस्पताल, बस–स्टैण्ड, सदर–बाजार, सब्जी–मण्डी, नक्की झील ऐरिया नियमित रूप से सफाई की जा रही है। सार्वजनिक व व्यवसायिक क्षैत्रों में दिन में 2 बार एवं रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था भी करवायी जा रही है।

8. **Waste Processing Wet Waste, Dry Waste, MRF :-**

नगर पालिकाद्वारा **MRF Centre** हेतु स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है इसके अलावा पालिका द्वारा गीले कचरे को कम्पोस्ट करने हेतु दो कम्पोस्टिग मशीन क्रय कर **MRF Centre** करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। पालिका द्वारा वाणिज्यिक,आवासीयों इकाइयों से कुल यूजर चार्ज के रूप मे 15.27लाख रूपये वसूल किए गए।

9. **Scientific Landfill :-**

पालिका आबूपर्वत के डम्पिंग यार्ड को वैज्ञानिक लैण्डफील बनाने हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन हैं।

10. **C & D Waste :-**

नगर पालिका आबूपर्वत ईको–सेन्सीटीव जोन होने के कारण भवन निर्माण पर रोक लगी हुई है।

11. **Plastic Waste :-**

नगर पालिकामें क्षेत्र में प्लास्टिक थैलीयों का पूर्ण प्रतिबंधित होने के सम्बन्ध में आमजन को समय समय पर आम सूचना एवंम कार्यशाला के मार्फत जागरूक किया गया है दिनांक 15.08.2019 को प्लास्टिक की रोकथाम के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय (नवीन भवने) एवं राजकीय विष्टि पूर्व माध्यमिक विधालय (बाल मन्दिर) एवं समस्त विद्यिालय माउन्ट आबूमें प्लास्टिक प्रतिबन्ध पर कार्यशाला

Scanned by TapScanner

का आयोजन किया गया जिसमें 2000 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया एवंपालिका् प्रशासन द्वारा प्लास्टिक थैली जब्ती हेतु एक टीम का गठन किया गया है जो समय समय पर प्लास्टिक पालिका जप्ती की कार्यवाहीं भी की रहीं है।

प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध

प्लास्टिक जब्ती

जुर्माना वसूली

प्लास्टिक पोलिथीन जब्त एवं की गई कार्यवाहीः–

2:– दिनांकः–15 अगस्त 2019 पूर्व नगरपालिका आबूपर्वत टीम द्वारा बाजार, सब्जी–मण्डी, गोदाम,स्टोर, लारी, पथ–विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप संग्रहण कर एवं उनका उपयोग किया जा रहा था जिस पर बड़ी कार्यवाही कर सभी से करिब 1230 किलो प्लास्टिक पोलिथीन जब्त किया गया एवं करिब 1,36,750/रूपया शास्ती द्वारा वसूल किया गया

3:–दिनांकः–17.08.2020 से 20.08.2020 के दरम्याहन नगरपालिका आबूपर्वत टीम द्वारा बाजार, सब्जी–मण्डी, गोदाम,स्टोर, लारी, पथ–विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप संग्रहण कर एवं उनका उपयोग किया जा रहा था जिस पर कार्यवाही कर करिब 2.05 किलो प्लास्टिक पोलिथीन जब्त किया गया एवं करिब **4500**/रूपया शास्ती द्वारा वसूल किया गया ।

प्लास्टिक पोलिथीन बैन एवं समाधान के ऐतिहासिक प्रयासः–

प्रशासन एवं नगरपालिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्लास्टिक पोलिथीन बैन के लिऐ ऐतिहासिक प्रयास किये गये एवं भारत वर्ष की प्रथम नगरपालिका बनी जिसने यह बैन करने का निर्णय लिया गया है। उसके अर्न्तगत समस्त वार्डो का सर्वे करवाया गया जिसमें नगरपालिका की पूरी टीम ने सभी वार्डो का डोर टू डोर सर्वे किया जिसमें

Scanned by TapScanner

1:– प्रत्येक घर , होटल, दुकान, पेंईग–गेस्ट, भवनों में दो–दो कपडे की थैलियॉ वितरत कि गई जिसकी अनुमानित संख्यॉ करीब 35,000 थी।

2:–साथ ही जूट की निर्मित थैलियॉ भी वितरत की गई जिसकी अनुमानित संख्यॉ करीब 12,000 थी।

3:–साथ ही कॉच की एक लीटर की बोतले भी सभी ऑफिसों में वितरत की गई जिसकी अनुमानित संख्यॉ करीब 650 थी।

4:–प्लास्टिक पोलिथीन बैन के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिऐं आबूपर्वत के सभी मुख्य पर्यटक–स्थलों पर बड़े –बडे होडिंगस–बैनर इत्यादी लगाकर व्यापक मा्त्रा में इसका प्रचार–प्रसार किया गया।

5:–सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार–प्रसार हेतु बडे होर्डिंग लगाए गये। थैलियों एवं बोतलों आदि पर जागरूक करने हेतु SAY NO TO PLASTIC लिख कर वितरित किए गए।

12. Bulk Waste Generators (BWGs) :-

1:–नगर पालिका आबूपर्वत ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों/संस्थानों/होटल का सर्वे करवाया गया है। सर्वे के दौरान एक प्रतिष्ठान 100 किलोग्राम प्रतिदिन ठोस कचरा अपशिष्ठ का उत्पादन होना पाया गया। उक्त प्रतिष्ठान को कम्पोस्टिंग मशीन लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है।

13. R.D.F :-

राज्य सरकार स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक 96913–96925 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार सीमेन्ट प्लान्ट को निशुल्क **RDF** प्लास्टिक दिये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। इसके तहत जब्त 200 किलो पोलिथीन को जेके लक्ष्मी सिमेन्ट प्लान्ट बनास, पिण्डवाडा भिजवाया जा रहा है।

14. Preventing Solid waste from entering into water :-

निर्देशों की पालना अनुसार ठोस अपशिष्ठ, नाला व नाली/तालाब आदि में नहीं जा सके इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है ।

15. User Fees :-

ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2016 के अन्तर्गत यूजर फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा उपविधियां बनाकर किया गया हैं तथा वर्तमान मेंवाणिज्यिक एवं आवासीय प्रतिष्ठानो से यूजर चार्ज 8,87,450 रूपये वसूल किया गया। उक्त उपविधियों को पालिका क्षैत्र में प्रभावी कर दिया गया हैं।

16. Penalty Provision :-

निर्देशों की पालना की जा रहीं है अब तक Bye Lawsका उल्लघंन के कारण 205500/– रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है तथा नियमित मोनेटैरिंग की जा रही है उल्लघंन करने पर पैनेल्टी वसूल की जायेगी।

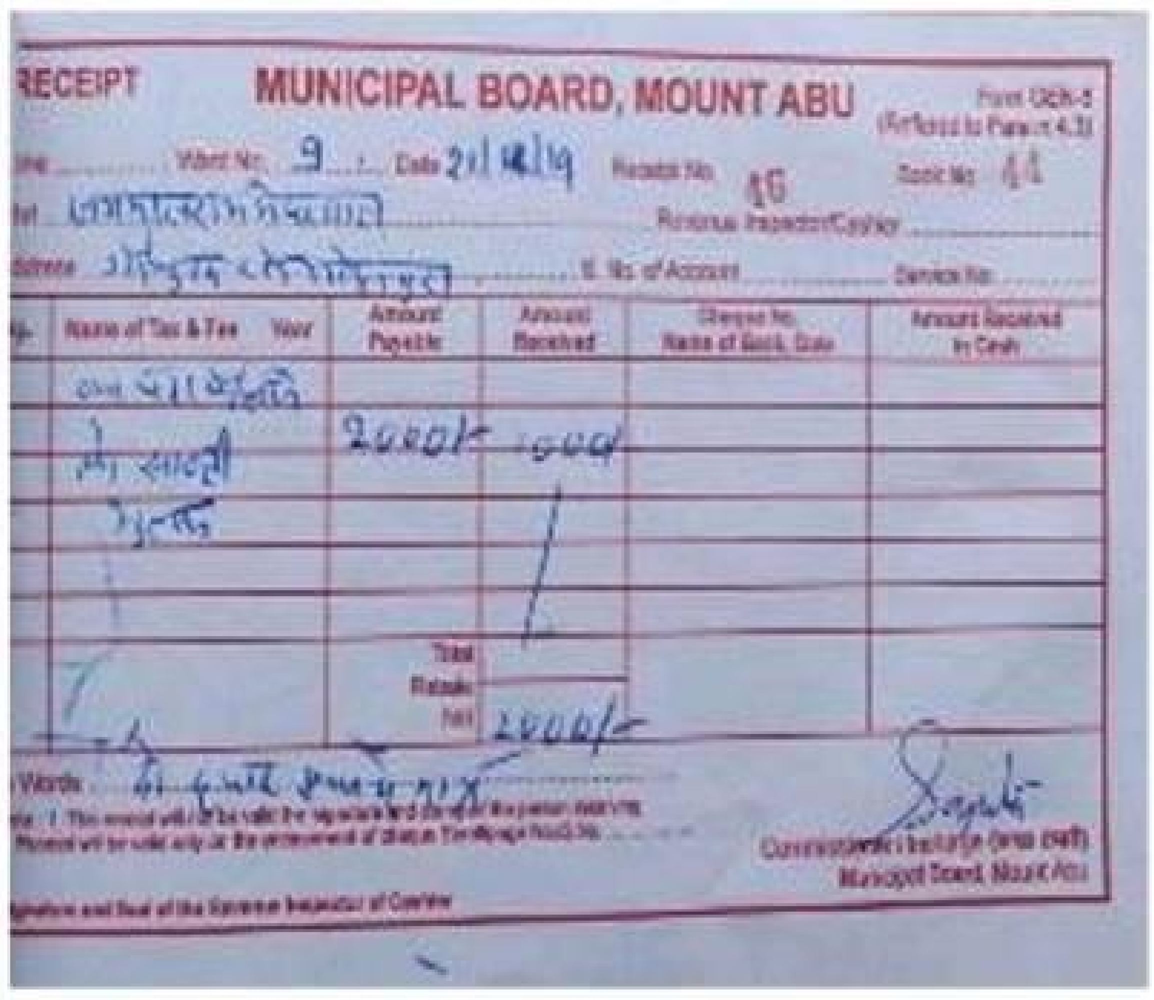
RECEIPT MUNICIPAL BOARD, MOUNT ABU

RECEIPT MUNICIPAL BOARD, MOUNT ABU

17. Notification of Bye Laws :-

ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 की पालना के अन्तर्गत Public Notification सभी समाचार पत्रों में

Scanned by TapScanner

प्रकाशन करवाये जा चुके है व आमजन द्वारा पालना की जा रही है।

18. Citizen Grievance Redressal :-

नगर पालिका आबूपर्वतद्वारा आमजन को स्वच्छता ऐप डाउनलेड करने एवं शिकायत दर्ज करने हेतु पेम्पप्लेटस, बेनर, होर्डिंग्स, रैली एवं विभिन्न कार्यशाला आयोजित कर जागरुक किया जा रहा है। स्वच्छता संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए एक मेनिटरिंग सैल का गठन किय गया है। इसके अन्तर्गत स्वच्छता इंजिनियर ऐप द्वारा सफाई सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण किया गया एवं पालिका क्षेत्र के आमजन के मोबाईल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड करवाये गये,सम्पर्क पोर्टल व पालिका हेल्पलाईन नम्बर व सेन्ट्रल हेल्पलाईन नम्बर के माध्यम से प्राप्त शिकायतो का निस्तारण किया जा रहा है तथा नियमित रूप से मोनिटरिंग की जा रही हैं।

19. Monitoring Mechanism :-

एसबीएम एमआईएस पोर्टल व गुगल ड्राईव पर सूचना समय समय पर दिये गये निर्देशनुसार अपडेट की जा रही है।

आयुक्त
नगर पालिका आबूपर्वत

Scanned by TapScanner